तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2161/2005/करौली** **बुद्धि बनाम प्रभूदयाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री जे0 के0 पारीक, वकील प्रार्थी की ओर से।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—02.04.2026

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा द्वारा प्रकरण संख्या 30/04 में पारित आदेश दिनांक 13—04—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 26 नियम 9 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज करके विवादित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को खारिज करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि दावे को देरीना करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के तथ्य जवाबदावे में रखे जा सते है केवल मात्र इसी को आधार मानकर न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। विवादित भूमि 30 वर्ष पूर्व ही आबादी में आ चुकी थी तथा प्रार्थी की दुकाने सडक के किनारे बनी हुई है तथा इसके पीछे प्रार्थी के रिहायसी पाटोर पोस घर बने हुए है जिसमें प्रार्थी निवास करता है तथा प्रार्थी के मकान घर पाटोर पोश व दुकाने मौके पर मौजूद है तथा पिछले 30 साल से विवादित भूमि पर काश्त नहीं हुई है इसलिए मौके की स्थिति जानने के लिए मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाना अत्यधिक आवश्यक है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र कयास के आधार पर विवादित निर्णय प्रदान किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—04—2005 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4— हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2161/2005/करौली** **बुद्धि बनाम प्रभूदयाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया। तत्पश्चात् निगराकार/प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा ने अपने आदेश दिनांक 13–04–2005 के द्वारा निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–04–2005 से व्यथित होकर निगराकारगण/प्रतिवादी ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जो कि तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में लम्बित है। इसके अलावा प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी/निगराकारगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 नियम 9 के तहत पेश किया है, जबकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को साबित करने का दायित्व वादी/अनिगराकारगण पर है। परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत है।

5– परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–04–2005 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य